

फर्द अहकाम
(नियम 26)


अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली मुकाम पाली
वादी:- छोगाराम
बनाम प्रतिवादीगण:- गोपाराम वगैरह

किस्म मुकदमा- राजस्व वाद मु.नं. 27/2018

अंतर्गत धारा 53,88,188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख जो इस हुकम की तामील में जारी हुई।
27-07-18	<p>वादी ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह दावा अंतर्गत धारा 53,88,188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण जरिये सम्मान तलब होकर पत्रावली दिनांक 17.9.18 को पेश हो।</p> <p>सहायक कलेक्टर पाली (राज.)</p>	<p>988 14.8.18</p>
17-9-18	<p>P.O. सा. अ-2 राजकार्य में व्यस्त है। कलियारण वार विषयानुसार वाद कास्तकारी में प्रकृति नहीं दे रही है। वका नवावली दि. 20.11.18 को पेश हो।</p> <p><i>(Signature)</i> S.D.O. Pall</p>	
20-11-18	<p>वकुलाय उपस्थि श्रीमान् S.D.O. साहक वीर आवश्यक राजकार्यो में व्यस्त रहने से पेशी इलतवा होकर पत्रावली दिनांक 19.09.18 को पेश है।</p> <p><i>(Signature)</i> S.D.O. Pall</p>	
19.2.19	<p>वकील वादी उपर डॉ. अनुप डॉ. सं. 2 व 3 के मुनवाई तारीख 17.9.18 के सम्मान तामील होने के बावजूद वे न्याया. में उपस्थित नहीं हुए अतः डॉ. सं. 2 व 3 के विरुद्ध संकतवका कार्यवाही</p>	

करने का आदेश देते हुए उनका
अवांछित पेश करने का अवसर
समाप्त किया जाता है। उक्त वादी
सं. 1 व 4 के सम्मान सुनवाई तारीख
17.9.2018 के आदेश तामील लगे हैं,
वकील वादी द्वारा उक्त डायरी सं. 1 व 4
की सुनवाई तलवा हेतु 9.11.2018 सम्मान भ्रम
कर उस्तुत नहीं किया गया है। अतः
वादी वादी अंतर्गत O.9 R.5 C.P.C. के तहत
स्वायत्त किया जाता है। प्रभावली फैसल
में सुमार होकर द्वाश्वील दफतर की जाये।


सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)